कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 437/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.11.2026

थाना- अहरौला

◆ अंतरराज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, थाना अहरौला पुलिस एवं एएचटीयू की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 01 पीड़िता को सकुशल बरामद किया।

◆ गिरफ्तार अभियुक्तों में सुरेश राम निवासी मुजफ्फरपुर (बिहार), महेश कुमार निवासी पूर्वी चंपारण (बिहार) एवं मुहम्मद अली निवासी उत्तरी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) शामिल; प्रकरण में अब तक कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

◆ नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़कियों को फंसाते, अलग-अलग एजेंटों के माध्यम से रुपये लेकर एक-दूसरे को बेचते तथा शारीरिक शोषण व दुष्कर्म के बाद वेश्यालय में बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराते थे। पीड़िता को भी करीब 01 लाख रुपये में बेचा गया था।

◆ मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करने वाली संयुक्त पुलिस टीम के प्रत्येक सदस्य को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा 25-25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस कार्रवाई-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.2026 को थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा अपनी करीब 18 वर्षीय पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में थाना अहरौला पर तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956 की वृद्धि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराध तथा मानव तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87/143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के मामले में थाना अहरौला पुलिस एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.11.2026 को पश्चिम बंगाल के जनपद उत्तरी दिनाजपुर स्थित थाना गोवालपोखर क्षेत्र के पारा पंजीपाड़ा से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लगभग 19 वर्षीय पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुरेश राम पुत्र वासुदेव राम निवासी ग्राम बखरा, वार्ड नं0 20, थाना मोतीपुर, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार, उम्र करीब 46 वर्ष।
2. महेश कुमार पुत्र लालबाबू प्रसाद निवासी ग्राम बेलवा रायखास, थाना तुरकौलिया, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार, उम्र करीब 36 वर्ष।
3. मुहम्मद अली पुत्र अकील अहमद निवासी ग्राम पारा पंजीपाड़ा, थाना गोवालपोखर, जनपद उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)-

पूछताछ में प्रकाश में आया कि मानव तस्करी रैकेट के सदस्य रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं मंदिरों के आसपास घूमकर घर से भागी हुई अथवा परेशान लड़कियों को नौकरी एवं कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद अलग-अलग एजेंटों के माध्यम से लड़कियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रुपये लेकर उनकी खरीद-फरोख्त करते थे। इस दौरान उनका शारीरिक शोषण एवं जबरन दुष्कर्म किया जाता था तथा विरोध करने पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

पूछताछ एवं पीड़िता के कथन के अनुसार मानव तस्करी की घटनाक्रमवार श्रृंखला निम्नवत प्रकाश में आई-

1. प्रथम चरण – प्रेमजाल में फंसाना: अभियुक्त शिवा मंडल पुत्र बबलू मंडल निवासी मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) द्वारा पीड़िता से करीब 02 माह तक फोन पर बातचीत कर उसे प्रेमजाल में फंसाया गया तथा शादी करने का झांसा देकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन बुलाया गया, लेकिन अभियुक्त स्वयं वहां नहीं पहुंचा।

2. द्वितीय चरण – गोरखपुर से बिहार ले जाना: गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पीड़िता की मुलाकात अभियुक्ता सितारा खातून, उसके पति अभियुक्त अभिषेक राज एवं अभियुक्त गफ्फार मियां से हुई। तीनों द्वारा काम दिलाने का झांसा देकर पीड़िता को गोरखपुर से बिहार के पूर्णिया ले जाया गया।

3. तृतीय चरण – महेश एवं सुरेश राम के माध्यम से आगे पहुंचाना: बिहार के पूर्णिया में पीड़िता की मुलाकात अभियुक्त महेश कुमार एवं सुरेश राम से हुई। दोनों अभियुक्त पीड़िता को काम दिलाने के बहाने सरिता नामक महिला एजेंट के पास ले गए।

4. चतुर्थ चरण – सरिता द्वारा मुहम्मद अली को बेचना: सरिता द्वारा पीड़िता को अभियुक्त मुहम्मद अली निवासी उत्तरी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) के हाथों करीब 01 लाख रुपये में बेच दिया गया। अभियुक्त मुहम्मद अली द्वारा पीड़िता के बदले सरिता को 01 लाख रुपये दिए गए।

5. पंचम चरण – दलालों को कमीशन देना: पीड़िता को सरिता तक पहुंचाने वाले दलालों को अभियुक्त मुहम्मद अली द्वारा 8,000-8,000 रुपये दिए गए।

6. षष्ठम चरण – शारीरिक शोषण एवं जबरन देह व्यापार: पीड़िता के कथनानुसार सरिता के घर पर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद अभियुक्त मुहम्मद अली, जिसका अपना वेश्यालय है, पीड़िता को वहां ले गया तथा बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराने लगा।

इस प्रकार अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाने से लेकर गोरखपुर, बिहार के पूर्णिया एवं पश्चिम बंगाल तक अलग-अलग एजेंटों के माध्यम से पहुंचाकर करीब 01 लाख रुपये में बेचने तथा अंततः वेश्यालय में बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराने के अंतरराज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त एवं कुल गिरफ्तारी-

प्रकरण में पूर्व में 04 अभियुक्त शिवा मंडल निवासी मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), अभिषेक राज निवासी पूर्वी चंपारण (बिहार), उसकी पत्नी सितारा खातून एवं गफ्फार मियां निवासी पूर्वी चंपारण (बिहार) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वर्तमान में गिरफ्तार 03 अभियुक्तों सहित अब तक कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87/143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 440/2025, धारा 137(2), 96(1), 143, 144, 98, 99, 61(2) एवं 3(5) बीएनएस तथा धारा 3/5/5ए/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 एवं धारा 81 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 थाना गोआलपुर, जनपद उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस कार्रवाई में उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी थाना अहरौला, निरीक्षक अमित शर्मा एएचटीयू जनपद आजमगढ़, आरक्षी सुधीर प्रजापति एवं महिला आरक्षी रीमा कुमारी थाना अहरौला तथा आरक्षी बसंत यादव सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाना-

अंतरराज्यीय मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध का पर्दाफाश कर पीड़िता को सकुशल बरामद करने तथा 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली थाना अहरौला पुलिस एवं एएचटीयू की संयुक्त टीम द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार* द्वारा पुलिस टीम के प्रत्येक सदस्य को 25-25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।